

20/10/2020

वाडिया द्वारा धारण पर निरी करने कबू पेश  
 किने जाने से दिनांक आज दिनांक 20.10.2020  
 को सीजेड से तलब की गई। वाडिया द्वारा  
 निवेदन किया कि उक्त उदरण में शाह के  
 मोहल्ले अपरिभा द्वारा उगापसी समझौदा सुकरा  
 की गई है तथा उक्त उदरण में एक बाड़ीगण  
 / आधीगण का कोई कापवाही नहीं चाहते।  
 जिससे न्यायाधीन में उक्त उदरण को इसी स्तर  
 पर बिडो करमाया जाये।

वाडिया द्वारा धारण पर का नकल  
 कर पत्रावली में उक्त दस्तावेजों का अवलोकन  
 कर बाद मजदूरी आधीगण पर स्वीकार किया  
 जाया है एवं वाडिया का बाद पर अन्याय  
 द्वारा 88, 188, 92 ए का निरी किया जा रहा है।  
 पत्रावली में फेराल शुमा लेकर गया है  
 कम है।

सहायक कलेक्टर  
 (सपखण्ड अधिकारी)  
 मिंगापुर जिला गोलवाडा (राज.)

